

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 37 / 2019 FSSA

- सरकार जरिये श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

- श्री ओमसिंह पुत्र श्री छगनसिंह राजपुरोहित
एफबीओ मैसर्स:— जय अम्बे जोधपुर स्वीट सेन्टर, भरतपुर रोड, महवा जिला दौसा ।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित ।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित ।

—: आदेश :—

दिनांक:— 08.01.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 23.07.2019 को दोपहर बाद 12:30 बजे मैसर्स:— जय अम्बे जोधपुर स्वीट सेन्टर, भरतपुर रोड, महवा दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री ओमसिंह पुत्र श्री छगनसिंह राजपुरोहित उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर एक एल्यूमिनियम के भगोने में करीबन 20 किग्रा गुलाबजामून (रिफाइंड सोयाबीन तेल से बने) आम जनता को बेचने हेतु रखे हुए थे में मिलावट का शक होने पर इनमें से नमूने की जांच हेतु 2 किग्रा गुलाबजामून (रिफाइंड सोयाबीन तेल से बने) खरीदे। जिन्हें विक्रेता ने एक साफ सूखी एवं खाली स्टील की ट्रे में तौलकर दिये। जिसकी कीमत 400 रुपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 2 किग्रा गुलाबजामून (रिफाइंड सोयाबीन तेल से बने) को चार साफ सूखी एवं खाली की बोतलों में बराबर-बराबर बोतलो को ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को बोतलों पर चिपकाकर बोतलों को अलग-अलग एक खाकी कागज में लपेट कर बोतलों पर डी.ओ. व व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप



(Handwritten signature)

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट दौसा

कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.- 2200 गोंद से चिपकाकर बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलों को चार-चार जगह से चपड़ी से सील मोहर कर बोतलों पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द बोतलों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहन को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहन के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं० 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बंद बोतल एक आउटर कवर में चपड़ी से सील मोहर कर तथा फार्म नं० 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं० 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 24.07.2019 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने की दो सील बन्द बोतल व फार्म नं० 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 24.07.2019 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं० 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 25.07.2019 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ गुलाबजामून (रिफाइंड सोयाबीन तेल से बने) के नमूने की खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./409/एक्ट/2019/422 दिनांक 06.08.2019 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्तगण की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./409/एक्ट/2019/422 दिनांक 06.08.2019 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ गुलाबजामून (रिफाइंड सोयाबीन तेल से बने) के नमूने में बी. आर. रीडिंग कम (55.6) पायी गई है। जो कि तय मानको के अनुसार 58.05 से 68.0 के बीच होनी चाहिए। Saponification Value of Extraceted oil की मात्रा कम (181.78) पायी गई है। जो कि 189.0 से 195.0 के बीच होनी चाहिए। Iodine value of extracted oil कम (100.01) पायी गई है। जो कि 120.0 से 141.0 के बीच होनी चाहिए। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ गुलाबजामून का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ गुलाबजामून (रिफाइंड सोयाबीन तेल से बने) का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन किया है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित करने का श्रम करे।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हमारे द्वारा तेल में किसी तरह की मिलावट नहीं की जाती है, बनाते समय या अलग-अलग कम्पनी के तेल काम में लेने की वजह से उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना सबस्टैण्डर्ड आ सकता है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया गया।



न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति० जिल्हा मजिस्ट्रेट दौसा

हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस पर मनन किया एवं अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./409/एक्ट/2019/422 दिनांक 06.08.2019 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ गुलाबजामून (रिफाइंड सोयाबीन तेल से बने) का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। जो कि एफएसएसए 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन है एवं इसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 51 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ गुलाबजामून (रिफाइंड सोयाबीन तेल से बने) का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री ओमसिंह पुत्र श्री छगनसिंह राजपुरोहित एफबीओ मैसर्स:- जय अम्बे जोधपुर स्वीट सेन्टर, भरतपुर रोड, महवा जिला दौसा पर 5000/- (अक्षरे पांच हजार रुपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 08.01.2020 के एक माह के अन्दर-अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 08.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा
दिनांक:- 10 .01.2020

क्रमांक / FSSA / 111-113

प्रतिलिपि:- निम्न की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज० जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री ओमसिंह पुत्र श्री छगनसिंह राजपुरोहित एफबीओ मैसर्स:- जय अम्बे जोधपुर स्वीट सेन्टर, भरतपुर रोड, महवा जिला दौसा।



(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा
जयपुर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा